लघु और मध्यम उद्यम पुनःआरंभ अनुदान

अवलोकन

लघु और मध्यम उद्यम पुनःआरंभ अनुदान (Small and Medium Enterprise Relaunch Grant) एल्बर्टा के ऐसे कारोबारियों, सहकारी समितियों और गैर-लाभकारी संगठनों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है, जिन्हें COVID-19 महामारी के परिणामस्वरूप अपने परिचालन को बंद या कम करने का आदेश दिया गया था और उन्हें अपनी आय में कम से कम 30 प्रतिशत गिरावट का अनुभव हुआ।

एल्बर्टा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य (Chief Medical Officer of Health) द्वारा जारी किए गए जनस्वास्थ्य आदेशों के परिणामस्वरूप 500 से कम कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले एल्बर्टा के व्यवसायों, सहकारी समितियों और गैर-लाभकारी संगठनों को अपना परिचालन बंद या कम करना पड़ा।

संगठन अपनी आवश्यकतानुसार इन अनुदानों का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें किराया अदा करना, कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करना, या COVID-19 के फैलाव को रोकने से संबंधित उपायों को लागू करने लागतें भी शामिल हैं।

अनुदान

पात्र संगठन COVID-19 के शुरू होने से पूर्व अपनी अर्जित आय के 15% के बराबर अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसकी आरंभिक सीमा अधिकतम $5,000 है। नए स्वास्थ्य आदेशों (नवंबर 2020 और इसके बाद) से प्रभावित क्षेत्रों में जिन पात्र आवेदकों को अपना परिचालन कम करना अनिवार्य हो गया था, वे अधिकतम $15,000 तक के दूसरे भुगतान के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। यह अनुदान कर-योग्य लाभ (taxable benefit) है और आपको इसे अपनी वार्षिक कर-वापसी में घोषित करना होगा।

1 मार्च से लेकर 31 अक्टूबर 2020 के बीच परिचालन शुरू करने वाले पात्र नए व्यवसाय अधिकतम $15,000 तक की धनराशि के भुगतान के लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्र संगठनों को उनकी 15% मासिक आय की तीन गुना धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। लाभराशि की गणना के उदाहरणों के लिए कृपया कार्यक्रम के दिशा-निर्देश देखें।

पात्रता

कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों से संपूर्ण पात्रता मानदंडो के बारे में जानकारी से प्राप्त की जा सकती है।

इस कार्यक्रम की पात्रता के लिए, संगठनों को:

1. 29 फरवरी 2020 या 31 अक्टूबर 2020 (केवल नए व्यवसायों के लिए) के दिन से निम्नलिखित में से किसी एक कानूनी निकाय के रूप में होना चाहिए:
   - *व्यापार निगम अधिनियम,* (एल्बर्टा) [*Business Corporations Act* (Alberta)] के तहत पंजीकृत निगम (Corporation)
   - *साझेदारी अधिनियम* (एल्बर्टा) [*Partnership Act* (Alberta)] के तहत पंजीकृत साझेदारी (Partnership)
   - *साझेदारी अधिनियम* (एल्बर्टा) [*Partnership Act* (Alberta)] के तहत व्यापारिक नाम (trade name) के साथ पंजीकृत एकल स्वामी (Sole proprietor)
   - एल्बर्टा विधायिका के किसी विशेष अधिनियम या निजी अधिनियम के तहत इंकोर्पोरेट किया गया निगम (Corporation)
   - एल्बर्टा विधायिका के किसी विशेष अधिनियम या निजी अधिनियम के तहत पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन (Non-profit)
   - *कंपनी अधिनियम* (एल्बर्टा) [*Companies Act* (Alberta)] के भाग 9 के तहत पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन (Non-profit)

©2021 एल्बर्टा सरकार | जनवरी 2021
Classification: Protected A

- *सोसायटी अधिनियम* (एल्बर्टा) [*Societies Act* (Alberta)] या *कृषि सोसायटी अधिनियम* (एल्बर्टा) [*Agricultural Societies Act* (Alberta)] के तहत पंजीकृत सोसायटी
- *सहकारिता अधिनियम* (एल्बर्टा)[*Cooperatives Act* (Alberta)] के तहत पंजीकृत सहकारिता (Cooperative)

2. एल्बर्टा में एक स्थायी स्थापना बनाए रखनी होगा और लागू अधिनियमों/कानूनों के तहत आवश्यकताओं के अनुपालन (और अच्छी पदस्थिति) में स्थापित रहना होगा;
3. 29 फरवरी 2020 या 31 अक्टूबर 2020 के दिन (केवल नए व्यवसायों के लिए) एल्बर्टा में व्यापार/परिचालन में कार्यरत रहना या पात्रता रखनी होगा;
4. 500 से कम कर्मचारी नियुक्त किए गए होने चाहिए (पूर्णकालिक + अंशकालिक + अनुबंधित);
5. यह प्रदर्शित करने में सक्षम रहना होगा कि COVID-19 जनस्वास्थ्य आदेश के कारण परिचालन को कैसे और कब अस्थायी रूप से बंद या कम करना पड़ा था;
6. अप्रैल 2019, मई 2019 या फरवरी 2020 की तुलना में COVID-19 जनस्वास्थ्य आदेशों के परिणामस्वरूप अप्रैल या मई 2020 की आय में कम से कम 30% गिरावट का अनुभव होना चाहिए।
    - नए व्यवसायों को मार्च से लेकर अक्टूबर 2020 के बीच किसी भी महीने में प्राप्त हुई आय की तुलना में नवंबर या दिसंबर 2020 में प्राप्त हुई आय में कम से कम 30% गिरावट प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी।
7. वर्तमान में खुला होना चाहिए या जैसे-जैसे जनस्वास्थ्य आदेशों को रद्द करके एल्बर्टा का चरणबद्ध पुनःआरंभ किया जाएगा, उनके पास फिर से खुलने की योजना होनी चाहिए।
8. अपनी आयहानि की क्षतिपूर्ति के लिए इस कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में सूचीबद्ध स्रोतों के अतिरिक्त संघीय या प्रांतीय सरकारी स्रोतों या किसी बीमा से भुगतान, अनुदान या धनराशि प्राप्त नहीं होनी चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए कृपया कार्यक्रम के दिशा-निर्देश देखें।

जिन संगठनों के एल्बर्टा में एक से अधिक स्थायी रूप से स्थापित प्रतिष्ठान हैं और उन्हें आयहानि का अनुभव हुआ है, वे अपने प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए धनराशि का आवेदन करने के पात्र हैं। इसमें ऐसे परिदृश्य भी शामिल हैं जबकि COVID-19 जनस्वास्थ्य आदेशों के परिणास्वरूप संगठन को एक से अधिक स्थानों/अनुभागों/शाखाओं की आय में कम से कम 30% गिरावट का अनुभव हुआ है।

कृपया प्रत्येक स्थान/अनुभाग/शाखा के लिए अलग-अलग आवेदन जमा करें, और आवेदन पत्र में उपयुक्त चौखाने पर सही का निशान लगाएँ।

आवेदन कैसे करें

सभी आवेदन इस कार्यक्रम के वेबपेज पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के माध्यम से जमा किए जाने चाहिए। कार्यक्रम के लिए आवेदन जमा करने की अवधि समाप्त होने तक प्रांत के सभी क्षेत्रों से पात्र व्यवसाय, सहकारिताएँ और गैर-लाभकारी संगठन किसी भी समय आवेदन जमा कर सकते हैं।

यदि अन्यथा इंगित न किया जाए, तो आवेदन जमा करने की अवधि 31 मार्च 2021 तक खुली रहेगी।

यह कार्यक्रम आवेदन जमा करने के 10 दिनों के अंदर आवेदनों को प्रसंस्कृत करने और भुगतान निर्गत करने का लक्ष्य रखता है। अपूर्ण या गलत जानकारी वाले आवेदनों, या किसी व्यक्ति द्वारा समीक्षा की आवश्यकता वाले आवेदनों के प्रसंस्करण में देरी हो सकती है।

क्या आप और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते/चाहती हैं?

पात्रता के मानदण्डों और आवदेन की प्रक्रिया समेत कार्यक्रम के संपूर्ण विवरण के लिए इस वेबसाइट पर जाएँ:
www.alberta.ca/sme-relaunch-grant.aspx

©2021 एल्बर्टा सरकार | जनवरी 2021
Classification: Protected A